

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, शहडोल

क्रमांक / महा.प्रबं. / म.प्र.ज.नि.मर्या. / परि.क्रि.ई. / 2022 दिनांक 05 / 06 / 2022

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला सिंगरौली

विषय—गोंड देवसर ग्रामीण समूल जल प्रदाय योजना अंतर्गत “FRA” प्रमाण पत्र की आवश्यकता।

संदर्भ:—ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151757/2022

—0—

महोदय,

म.प्र. जल निगम मर्यादित (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा सिंगरौली जिले के देवसर विकास खण्ड के 206 ग्रामों हेतु देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपरोक्त योजनांतर्गत वन विभाग के Range - Bargawan, Jiyawan, West Sarai. Division Singrauli में पाईल लाईन का कार्य प्रस्तावित है। पाईल लाईन हेतु 4.8057 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151757/2022)।

उपरोक्त हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिये वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है।

निवेदन है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 तहत प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
P.I.U., Singrauli